

कार्यालय कलेक्टर, जिला रतलाम मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव  
राजस्व विभाग, म.प्र.

प्रकरण क्रमांक ...8...अ-82/2019-20

क्रं. 3856 /भू-अर्जन/2019-20

रतलाम, दिनांक 24-8-19

**सार्वजनिक सूचना**

(अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन की आपसी से भूमि क्रय नीति 2014)

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि बरखेड़ाखुर्द तालाब तहसील ताल जिला रतलाम के नहर निर्माण में छुटे हुए सर्वे नंबर खाताधारक की निजी भूमि मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय के आदेश क्रमांक एफ-12/2014/सात/2ए/भोपाल दिनांक 12.11.2014 के तहत आपसी सहमती से क्रय किया जाना प्रस्तावित है।

अतः निम्नलिखित भूमि में से किसी व्यक्ति/संस्था को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो यह अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में सूचना प्रकाशन के दिनांक से 15 दिवस की अवधि में आधार सहित आपत्ति प्रस्तुत करें नियत अवधि पश्चात् किसी प्रकार की आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा।

ग्राम बरखेड़ाखुर्द पटवारी हल्का नंबर 04 राजस्व निरीक्षक मण्डल 01 ताल

क्रं.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	ग्राम का नाम	खसरा क्रमांक	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर)			परिसंपत्ति का विवरण
				सिंचित	असिंचित	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	श्रीमती भूलीबाई पिता रामसिंह जाति गुर्जर ग्राम बरखेड़ाखुर्द तहसील ताल जिला रतलाम	खराबड़ी	64 65/2	0.032 0.056	-- --	0.032 0.056	-- --
	योग		किता-2	0.088	--	0.088	

(रुचिका चौहान)

कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव  
मध्यप्रदेश शासन  
राजस्व विभाग, रतलाम म.प्र.

रतलाम, दिनांक - 24-8-19

पृ.क्रं. 3857 /भू-अर्जन/2019-20  
प्रतिलिपि-

1. सचिव, म.प्र. शासन राजस्व विभाग मंत्रालय भोपाल।
2. सचिव, म.प्र. शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय भोपाल।
3. आयुक्त, उज्जैन संभाग उज्जैन की ओर सूचनार्थ।
4. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय म.प्र. भोपाल की ओर एक स्थानीय एवं एक प्रादेशिक स्तर के समाचार पत्र में प्रकाशन कराने का कष्ट करें।
5. त्रिचंत्रक, शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय म.प्र. भोपाल की ओर म.प्र. राजपत्र भाग-1 में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
6. जिला विज्ञान एवं सूचना अधिकारी जिला रतलाम की ओर जिले की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु
7. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग रतलाम की ओर सूचनार्थ।
8. अनुविभागीय अधिकारी एवं भू अर्जन अधिकारी, आलोट की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. तहसीलदार, तहसील ताल की ओर एक प्रति तहसील एवं एक प्रति संबंधित ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पर एवं एक प्रति संबंधित ग्रामों के चौपाल पर चस्पा करें। एक प्रति वाद निर्वाह अनुविभागीय अधिकारी एवं भू अर्जन अधिकारी आलोट को भेजे
10. अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग जावरा की ओर सूचनार्थ।

(रुचिका चौहान)

कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव  
मध्यप्रदेश शासन

राजस्व विभाग, रतलाम म.प्र.